

पत्रांक 14 / एम 11-2 / 18  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,  
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,  
अंसारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 29.8.18 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	साक्षी प्रिया पिता-प्रमोद कुमार ग्राम-पो०-किशुनपुर मधुबन थाना-कुढ़नी जिला-मुजफ्फरपुर ओपीडीनं०-102272647	स्पाईनल सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
2	परमेश्वर साह पिता-स्व० नथुनी साह ग्राम-पो०-महमदपुर बदल थाना-सकरा जिला मुजफ्फरपुर ओपीडीनं०-103408789	नी रिपलेस्मेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
3	इन्दु देवी पति-चन्द्रेश्वर प्रसाद ग्राम-आलमपुर सिमरी पो०-चहुटा थाना औराई जिला-मुजफ्फरपुर ओपीडीनं०-103786267	कैसर रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
4	शंभु शंकर यादव पिता राजदेव प्रसाद यादव ग्राम-परसाईन टोले हनुमाननगर, पो० पकरीया थाना-सोनवर्षा जिला-सीतामढी ओपीडीनं०-103013287	हिप रिपलेस्मेंट	1,45,000	एक लाख पैंतालीस हजार स्वीकृत।

5	गया प्रजापति पिता-सीता राम प्रजापति ग्राम-कंचनपुर पो0-एसौरा थाना-देव जिला औरंगाबाद ओ0पीडीनं0-103756782	ब्रेन सर्जरी	70,000	सतर हजार स्वीकृत।
			कुल ₹ 6,95,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,95,000/- ( छः लाख पनचानवे हजार ) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 148880 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 - 10874584010, खाता धारक का नाम- निदेशक, अ0 भा0 आ0 सं0, खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं0-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जाय।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-  
(डा0 आर0 डी0 रंजन)  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 148880 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह0/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1625(14)

पटना, दिनांक 6.9-18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/ सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
5/9/18  
निदेशक प्रमुख  
अ०-१५२१

सं० सं० 14 / एम 11-2 / 18  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक,

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,  
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,  
अंसारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 29.8.18 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सिन्धु कुमारी पिता-राजीव रंजन झा ग्राम-पो०-किशनपुर युसुफ थाना-सराय रंजन जिला-समस्तीपुर सीभीन०-14964 / 2018	हृदय रोग	65,000	पैंसठ हजार स्वीकृत।
2	प्रेम चन्द कुमार पिता-संतोष कुमार साह ग्राम+पो०-कोढली थाना भपटियाही जिला-सुपौल सीभीन०-9959 / 08	हृदय रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	जावेन्द्र कुमार मिश्रा पिता-राकेश मिश्रा ग्राम-ढेबनी पो०+थाना-ब्रहमपुर जिला-बक्सर यू०एचआईडी-103425784	हृदय रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	प्रिस पिता-जय शंकर यादव ग्राम-चौड़ी, पो०-बीर सायर थाना-सकरी जिला-मधुबनी सीटीबीएस-70436	हृदय रोग	65,000	पैंसठ हजार स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,90,000 /-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,90,000/- ( दो लाख नब्बे हजार ) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 050556.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-10874584258, खाता धारक का नाम-AIIMS CT PATIENT'S ACCOUNT खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

( डा० आर० डी० रंजन )

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतस्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 050556.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1524(14)

पटना, दिनांक 6-9-18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/9/18  
निदेशक प्रमुख  
आ. (रंज)

सं० सं० 14/एम 11-1/18  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,  
राजाबाजार, पटना 800014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 29.8.18 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मास्टर केशव राज पिता-परवीन कुमार सिंह ग्राम-जगरनाथ पो०-हरपुर फाकीवारा थाना-महनार जिला-वैशाली	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	अनिता वर्मा पति-दीपक कुमार ग्राम-न्यु कालोनी बालु घाट पो०-प्रधान डाकघर थाना-नगर जिला-मुजफ्फरपुर	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	रासीदा बेगम पति-असफाक आलम ग्राम-मीर भिठ्ठा पो०-थाना-पौआखाली जिला-किशनगंज	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	शिव नारायण सिंह पिता-स्व० गेना सिंह ग्राम-महमदपुर बिरौली पो०-दीघरा थाना-पुसा जिला समस्तीपुर	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
5	फातिमा नरगिस पति-मा० शाहीद हुसैन ग्राम-हसनपुर पो०+थाना-बेलागंज जिला-गया	गुर्दा प्रत्यारोपण	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।

6	आशु कुमारी पिता-मुरारी चौधरी ग्राम-बरहेता पो0-लहेरिया सराय थाना-बहादुरपुर जिला-दरभंगा	कैसर रोग	70,000	सतर हजार स्वीकृत।
7	सुगिया देवी पति-बैजनाथ राय ग्राम-पो0-मुबारकपुर थाना-मढौरा जिला-सारण	कैसर रोग	70,000	सतर हजार स्वीकृत।
8	देवेन्द्र शर्मा पिता-स्व0 भगवान शर्मा ग्राम+थाना-दुल्हिन बाजार पो0-बेल्हौरी जिला पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	राम इकबाल राय पिता-स्व0 शिवचन्द्र राय ग्राम-खासपुर पो0-दाउदपुर थाना-मनेर जिला-पटना	हृदय रोग	1,40,000	एक लाख चालीस हजार स्वीकृत।
10	मिथिलेश कुमार पिता- राम एकबाल सिंह ग्राम-मटिहानी नैन पो0+थाना-मीरगंज जिला-गोपालगंज	सर्जरी	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
11	अखिलेश सिंह पिता-स्वामी नाथ सिंह ग्राम-जीगना गोपाल पो0+थाना-मीरगंज जिला-गोपालगंज	गुर्दा प्रत्यारोपण	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
12	पवन कुमार पिता-गणेश पासवान ग्राम-कन्हैया नगर पो0+थाना फुलवारीशरीफ जिला पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			कुल ₹ 14,40,000 /-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 14,40,000 /- (चौदह लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 178878 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 32987008657 खाता धारक का नाम- पारस एचएमआर आई अस्पताल, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-शेखपुरा, बेली रोड, राजा बाजार पटना 14, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0003563 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/

(डा० आर. डी. रजंन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०.....178878.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

1643(14)

पटना, दिनांक

7-9-18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/सभी संबंधित मरीजों/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/9/18

निदेशक प्रमुख  
श्री. सिन्हा